सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **52/2023** अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
नकतुदेवी पत्नी भेराराम जाति मेगवाल, निवासी नीम्बलानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. घमूराम पुत्र अमरराराम 2. दीपाराम पुत्र अमरराराम 3. गोमाराम पुत्र अमरराराम जाति मेगवाल, निवासी नीम्बलानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता वादी — श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 — श्री बालाराम गोदारा।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 08.09.2025

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल नागड़दा के ग्राम नीम्बलानाडा के खेत खसरा नम्बर 327/31, 326/31 रकबा क्रमशः 0.8612, 3.4446 हैक्टेयर अर्थात मूल खसरा नम्बर 31 कुल रकबा 4.3058 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है —

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	नकतुदेवी पत्नी भेराराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	नीम्बलानाडा	31	1.4353	बा.दो.	—	हरा
2	घमुराम पुत्र अमरराराम 1/3, दीपाराम पुत्र अमरराराम 1/3, गोमाराम पुत्र अमरराराम 1/3 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	नीम्बलानाडा	31	2.8705	बा.दो.	—	गुलाबी

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:59:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव